पंचायत स्तर पर बहुआपदाओं से निपटने हेतु मार्गदर्शिका

(पूर्व तैयारी, रिस्पान्स और पुनर्वापसी केन्द्रित)

geag

unicef
for every child

पृष्ठभूमि

अपनी भौगोलिक परिस्थितियों तथा अनेक छोटी–बड़ी नदियों के कारण बिहार राज्य के लिए बाढ़ एक प्रमुख आपदा है। राज्य के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण जिलों की श्रेणी में आते हैं जबकि राज्य का दक्षिणी भाग सुखाड़ आपदा प्रभावित क्षेत्र में शामिल है। हाल के कुछ वर्षों में वर्षा की अनियमितता एवं कम बारिश, कम समय में अधिक बारिश तथा एक बारिश से दूसरी बारिश के बीच लम्बे अन्तराल के कारण सुखाड़ भी यहाँ के लिए एक बड़ी आपदा के तौर पर सामने आयी है। नेपाल सीमा से सटे होने के कारण यह राज्य सिसमिक जोन 4 व 5 में आता है और भूकम्प भी राज्य के लिए एक प्रमुख आपदा है। साथ ही अगलगी, शीतलहर, लू चलना, ठनका, नाव दुर्घटना, सड़क दुर्घटना आदि प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के साथ–साथ राज्य विगत दो वर्षों से कोरोना महामारी से भी व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा है। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण घटने वाली चरम मौसमी घटनाओं जैसे– भारी से भी भारी बारिश, निरन्तर बढ़ रहा तापमान व आर्द्रता के कारण इन आपदाओं की आवृत्ति एवं प्रकृत्ति में तेजी आयी है।

आपदा की प्रकृत्ति स्थानीय होती है और इसके रिस्पान्स हेतु समुदाय की सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय समुदाय के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं और उनका स्थानीय समुदाय पर सीधा प्रभाव होता है। दैनिक कार्यों के लिए समुदाय अपने पंचायत प्रतिनिधियों के सम्पर्क में आता है और उनके साथ सीधा व सुगम संवाद होता है। ऐसी स्थिति में आपदा प्रबन्धन के कार्यों को सुगमतापूर्वक अपनाने हेतु पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय को उत्प्रेरित किया जा सकता है। साथ ही आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर पंचायत प्रतिनिधियों में जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि से स्थानीय समुदाय पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपदा रिस्पान्स के कार्य प्रभावी तरीके से सम्पादित किये जा सकेंगे। इसके साथ ही आपदा प्रबन्धन के लिए पूर्व तैयारी, रिस्पान्स एवं पुनर्वापसी के चरणों में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के ऊपर स्पष्टता होने से पंचायत प्रतिनिधि/मुखिया/सरपंच आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी विभिन्न विभागों/अभिकरणों से समन्वय स्थापित कर आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

सिसमिक जोन

4 व 5 में आने के कारण भूकम्प भी राज्य के लिए एक प्रमुख आपदा है।

बाढ़ हो या सुखाड़, अगलगी की घटना हो अथवा भूकम्प अथवा कोई भी आपदा हो, समुदाय पर उसका प्रत्यक्ष असर पड़ता है और स्वाभाविक रूप से समुदाय ही सबसे पहले रिस्पान्स करता है।

उद्देश्य

बहु आपदाओं से निपटने हेतु विभिन्न चरणों में की जाने वाली गतिविधियों के प्रति पंचायतों की स्पष्टता तथा क्षमता वृद्धि इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य है। बिन्दुवार इसके उद्देश्यों को निम्नवत् देखा जा सकता है –

- बहु आपदाओं के प्रति पंचायत को संवेदनशील बनाना ताकि वे गतिविधियों के क्रियान्वयन में आगे आ सकें।
- बहु आपदाओं के प्रति पंचायत की भूमिका एवं दायित्व के ऊपर समझ बनाना।
- बहु आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में पूर्व तैयारी, रिस्पान्स एवं पुनर्वापसी के अन्तर्गत गतिविधियों को अपनाने हेतु सक्षम होना।
- बहु आपदाओं से निपटने हेतु योजनाबद्ध ढंग से तैयारी करना।

राज्य में बहु आपदाएं : एक परिदृश्य

- राज्य के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आते हैं।
- राज्य के 28 बाढ़ प्रवण जिलों में से 15 अति बाढ़ प्रवण एवं 13 जिले बाढ़ प्रवण की श्रेणी में आते हैं।

- राज्य भूकम्प की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है। राज्य के 10 जिले सिसमिक जोन–5, 22 जिले सिसमिक जोन–4 एवं शेष 6 जिले सिसमिक जोन 3 में आते हैं।

- राज्य के दक्षिणी क्षेत्र के जिले स्थाई रूप से सूखे से प्रभावित हैं।

- राज्य के 27 जिलों में तेज लू और बवंडर की स्थितियां बनती हैं।

- राज्य के सभी जिलों के गाँव अगलगी आपदा से प्रभावित होते हैं। ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में फूस के मकान 66,94,894, पालीथीन के मकानों की संख्या 1,07,049 तथा खपरैल मकानों की संख्या 37,87,703 है।

Bihar's exposure to natural hazards

- 28 districts out of 38 are **flood-prone areas.**
- 7 districts lie in seismic zone V and 21 lie in a seismic zone IV, areas highly prone to **earthquakes.**
- The southern districts of Bihar are affected by **chronic drought.**
- 27 districts experience **high winds and tornadoes.**
- Villages across all districts are prone to **fire hazards.**

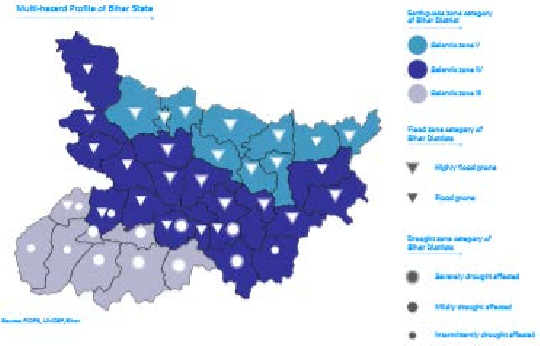

राज्य के

38 में से 28

जिले बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आते हैं।

बहु आपदाओं के प्रभावों को कम करने की दिशा में उपयोगी आपदा जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना

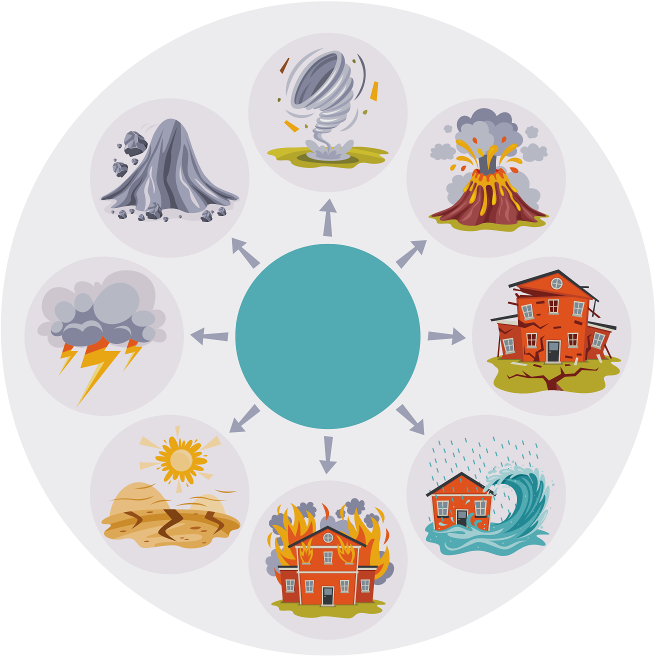

भारतीय संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन के निकायों के रूप में सशक्त बनाता है। इसमें यह परिकल्पना की गयी है कि पंचायतें, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाएंगी। इस आधार पर पंचायत अपने गाँव में आने वाली विभिन्न आपदाओं जैसे– बाढ़, सुखाड़, अगलगी, भूकम्प आदि से होने वाले नुकसान को कम करने के लिये आपदा पूर्व, दौरान एवं बाद में किये जाने वाले कार्यों के लिये विस्तृत योजना बना सकती है, उसे क्रियान्वित कर सकती है और निर्धारित की गई गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार विभाग एवं कार्यदायी संस्थाओं से अनुरोध कर सकती है अथवा निर्देश दे सकती है।

बिहार सरकार पंचायती राज अधिनियम, 2006 से भी यह स्पष्ट होता है कि आपदाओं से होने वाले प्रभावों को कम करने में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस अधिनियम के अध्याय–3 के सेक्शन–22 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के सामान्य कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के घटित होने की स्थिति में पंचायतें लोगों की मदद कर सकती हैं। इसके साथ ही पंचायतों में युवकों एवं युवतियों का राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा मोचक दल (एन.डी.आर.एफ व एस.डी.आर.एफ.) के माध्यम से प्रशिक्षण कराकर समुदाय के बचाव, निष्कासन एवं अन्य उपायों में सक्रिय भागीदारी कराई जा सकती है।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) एक व्यापक, समावेशी और सहभागी प्रक्रिया पर आधारित दस्तावेज है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करती है। इस सहभागी योजना में पंचायतें सभी समुदायों विशेषकर सीमान्त एवं वंचित वर्ग, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग, मानसिक रूप से कमजोर, ट्रांसजेंडर को अपने साथ जोड़ते हुए ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं को चिन्हित करते हुए अपने विकास के लिये योजना का निर्माण करती हैं। बदलती जलवायुविक परिस्थितियों और उससे जनित आपदा जोखिमों को देखते हुए, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA) और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) उपायों को एकीकृत करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर खतरों, नाजुकताओं और जोखिमों की अच्छी समझ होना काफी महत्वपूर्ण है। जीपीडीपी प्रक्रिया में स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उचित उपयोग करने की पर्याप्त गुंजाइश भी है, जो गाँवों के नियोजन और प्रतिरोधी (रिजिलियेण्ट) विकास में सीसीए–डीआरआर सरोकारों/चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकता है।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण एकीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु पंचायतों द्वारा पाँच चरणों के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां सम्पादित की जानी हैं–

- **वातावरण निर्माण** : जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए – गाँव में खुली बैठक, विभिन्न समूहों के साथ मुद्दा आधारित चर्चा, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से विषय के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना ताकि समुदाय आपदा, आपदा पूर्व तैयारी की

आवश्यकता एवं तरीकों पर समझ बना सके। इस दौरान कोरोना से बचाव के उपायों– मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी आदि का समुचित पालन सुनिश्चित किया जाये।

- **परिस्थिति/वास्तविक स्थिति का विश्लेषण :**
  - "क्या खोया क्या पाया" अभ्यास के माध्यम से पिछले वर्षो में आयी बाढ, सुखाड़, अगलगी आदि आपदाओं एवं उसके प्रभावों से हुये नुकसान का आकलन करना।
  - आपदाओं के सन्दर्भ में पूरे ग्राम पंचायत स्तर पर खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता आकलन करना।
    - गाँव के लिए सबसे बड़ी आपदा की पहचान।
    - जोखिम के क्षेत्र (नदी, नाले, तालाब आदि) की पहचान।
    - पंचायत में सर्वाधिक संवेदनशील वार्ड/समुदाय/स्थल/लोग/बुनियादी सुविधाओं को जानना।
    - पंचायत स्तर पर उपलब्ध क्षमताओं– गोताखोरों, तैराकों, हैण्डपम्प मरम्मति करने वाले मिस्त्रियों की पहचान, नाव एवं नाविकों की सूची, गाँव में ऊँचे स्थलों आदि की पहचान।
  - आपदा पूर्व तैयारी के लिये संलग्नक 1 के माध्यम से वार्ड स्तर से लेकर ग्राम पंचायत तक की तैयारियों की जाँच करना।
- **आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता का निर्धारण**
  - खतरा, जोखिम विश्लेषण के आधार पर समस्याओं की पहचान एवं सबसे गम्भीर समस्या की पहचान करना।
  - समस्याओं के समाधान हेतु रोक–थाम, पूर्व तैयारी, शमन एवं पुनर्वापसी के कार्यों को तय करना।
  - इन कार्यों/गतिविधियों से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों की पहचान
- **संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान तैयार करना**
  - ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध मानव एवं वित्तीय संसाधनों की पहचान करना।

- पंचायत के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर तय गतिविधियों के अतिरिक्त योजनाओं/कार्यक्रमों से जुड़ाव वाले गतिविधियों की पहचान करना।
- पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच, मुखिया, पंचायत सचिव एवं ग्राम स्तरीय अन्य कार्यदायी संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा बैठक कर पंचायत की आपदा जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जाना।

■ **तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति**

- पंचायत स्तर पर तैयार की गयी बहु आपदा पूर्व तैयारी योजना को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी से साझा करना एवं आवश्यकतानुसार सहयोग की मांग करना।
- बहु आपदा पूर्व तैयारी एवं प्रत्युत्तर की कार्ययोजना का पंचायत स्तर पर अनुपालन हेतु सतत् निगरानी करना एवं आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभाग एवं कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।
- प्रतिमाह निर्धारित तिथि पर पंचायत स्तर पर बैठक कर आपदा पूर्व तैयारी योजना का मूल्याकंन करना एवं आवश्यकतानुसार संशोधन करना।

प्रभावों को कम करने की दिशा में पंचायत द्वारा किये जाने वाले प्रयास/गतिविधियां

पंचायत समुदाय से ही बनती है और पंचायत प्रतिनिधि/मुखिया/ सरपंच समुदाय से ही चुनकर आते हैं व पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचायत की शक्तियों से सम्पन्न ये जन प्रतिनिधि समुदाय के लिए, समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं। आपदा प्रबन्धन के लिए पूर्व तैयारी, रिस्पान्स एवं पुनर्वापसी के चरणों में किये जाने वाले प्रयासों/गतिविधियों में से कुछ प्रयास/गतिविधियां ऐसी होती हैं, जो पंचायत स्वयं अपने प्रयासों से करता है, जबकि कुछ प्रयास/ गतिविधियां ऐसी होती हैं, जिन्हें पंचायत अन्य सम्बन्धित संस्थानों/ अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित कर सम्पादित करता है।

बाढ़

पूर्व तैयारी (Preparedness)

तटबन्धों/सम्पर्क मार्ग की मरम्मति

- वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पूर्व तटबन्धों का निरीक्षण कर कमजोर/क्षतिग्रस्त या खतरे वाले स्थानों के बारे में स्थानीय प्रशासन/जिला प्रशासन/जल संसाधन विभाग को सूचित करें ताकि समय से उसकी मरम्मति हो जाये।
- मनरेगा अथवा अन्य विभागों की योजनाओं के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का ऊँचीकरण सुनिश्चित करें।
- गाँव को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों, गाँव के अन्दर की सड़कों व विद्यालय को जाने वाले आवागमन मार्गों का ऊँचीकरण करें।

सुरक्षित स्थान का चयन

- बाढ़ आपदा से प्रभावित हो सकने वाले सभी संभावित वार्डों/स्थलों की पहचान सुनिश्चित कर लें ताकि जोखिम कम करने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन में आसानी हो।
- आपदा की स्थिति में आश्रय लेने हेतु ऐसे सुरक्षित व ऊँचे आश्रय स्थलों की पहचान करें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर तीन हिस्सों (राहत शिविर, क्वारन्टाइन सेण्टर एवं सामुदायिक रसोई) में विभाजित किया जा सके। साथ ही वहाँ तक पहुँचने के वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग को चिन्हित कर समुदाय के लोगों को इसके बारे में जागरूक करना सुनिश्चित करें।
- सभी गढ्ढों और डूबने का खतरा वाले स्थानों की पहचान करें एवं चेतावनी संकेतों/संदेशों जैसे– लाल झण्डी या कोई और संकेत लगवाना सुनिश्चित करें।
- गाँव की पारिवारिक सूची बनायें एवं उस सूची में नाजुक परिवारों को पहले से चिन्हित करें ताकि आपदा के समय नाजुक परिवारों को अविलम्ब सहायता प्रदान कराई जा सके।

सूचना एवं संसाधन केन्द्र की स्थापना

- बाढ़ पूर्व सूचना हेतु बाढ़ सूचना एवं संसाधन केन्द्र की स्थापना सुनिश्चित करें।
- सूचना एवं संसाधन केन्द्र पर आवश्यक उपकरणों जैसे– मेगाफोन, लाठी, टार्च, रस्सा, लाइफ जैकेट आदि के साथ प्राथमिक उपचार सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- केन्द्रीय जल आयोग, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, वर्षामापी केन्द्र, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, स्थानीय प्रशासन आदि जैसे महत्वपूर्ण टेलीफोन नं0 को चार्ट पेपर पर लिखकर बाढ़ सूचना केन्द्र पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
- मौसम के पूर्वानुमान की सूचना प्राप्त कर उसका प्रसारण बड़े पैमाने पर करें ताकि किसानों का जोखिम कम हो सके।

मॉकड्रिल एवं जागरूकता अभियान

- प्रशिक्षित युवाओं, युवतियों एवं ग्रामवासियों के सहयोग से बाढ़ से बचाव एवं उपचार पर गाँव स्तर पर मॉकड्रिल आयोजित कराना सुनिश्चित करें।
- बाढ़ आपदा से बचाव हेतु ''क्या करें और क्या न करें'' पर जागरूकता अभियान चलायें।
- समुदाय स्तर पर सूचना प्रसारित करायें कि सभी परिवार आपदा के दौरान हेतु सुरक्षा किट (सूखा भोजन, महत्वपूर्ण कागजात, महत्वपूर्ण औजार, रस्से, प्लास्टिक सीट, पहनने हेतु कपड़े, माचिस, मिट्टी तेल अन्य) एवं अन्य दस्तावेजों तथा महत्वपूर्ण सामानो को सुरक्षित रख लें।
- गाँव वालों का क्षमतावर्धन करें कि वह इस कोरोना काल में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले फलों (सेव, अनार, मुसम्मी, संतरा, आंवला इत्यादि) का सेवन करें एवं बाढ़ में घरों को छोड़ने के पूर्व ऐसे फलों को अपने सूखे राशन वाली पेटी में रख कर ही घर छोड़ें।
- हाथ की सफाई, पानी के उपयोग, जल शुद्धिकरण यन्त्र, ओ0आर0एस0 के उपयोग आदि विषयों पर जागरूकता अभियान चलायें।
- किशोर एवं किशोरियों को आपदा के दौरान साफ–सफाई एवं स्वच्छता के विषय में जागरूक करें।

- आपदा के दौरान अपने–आप को सुरक्षित रखने के उपायों पर महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक करने हेतु अभियान चलायें।
- आपदा प्रबन्धन विभाग से समन्वय स्थापित कर गाँव के उत्साही युवक–युवतियों को प्राथमिक उपचार पर एन.डी.आर.एफ. व एस.डी.आर.एफ. के सहयोग से अवश्य प्रशिक्षित करायें एवं समय–समय पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण के माध्यम से फालो–अप भी करते रहें।
- प्राथमिक उपचार पर प्रशिक्षण प्राप्त दल के पास प्राथमिक उपचार बाक्स की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिसमें साधारण खांसी, सर्दी, बुखार, फोड़ा–फुन्सी आदि की दवाएं हों।
- गाँव के प्रत्येक घर को प्रेरित करें कि वे अपने पास कोरोना किट अवश्य रखें, जिसमें हैण्ड सैनिटाइजर अथवा साबुन, मास्क, दस्ताना अवश्य हो।
- गाँव में रहने वाले तैराक एवं गोताखोर युवक–युवतियों की पहचान कर लें एवं उनका सम्पर्क नम्बर भी रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता ली जा सके।
- बाढ़ आने की स्थिति में आवागमन तथा निकास मार्गों का चिन्हीकरण अवश्य करके रखें।
- खोज एवं बचाव दल के अन्य सदस्य भी कोरोना से बचाव के उपायों यथा–सामाजिक दूरी, हाथ धुलना व मास्क पहनना आदि सुनिश्चित करें।

शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था

- निचले स्थानों पर लगे इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्पों का चिन्हीकरण एवं उनका ऊँचीकरण सुनिश्चित करें।
- पंचायत के अन्दर बन्द अथवा खराब पड़े हैण्डपम्पों की पहचान एवं उनकी मरम्मति कराने के लिए पी0एच0ई0डी0 के स्थानीय कार्यकर्ता से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।
- हैण्डपम्पों का सिरा खोलकर उसमें ब्लीचिंग पाउडर के घोल को डालकर पेयजल शुद्ध करें।
- "हर घर नल का जल" परियोजना अन्तर्गत लगने वाले पानी की टंकी को ऊँचे स्थान पर स्थापित करायें, जो बाढ़ के पानी में न डूबे।

- पानी की टंकी से होने वाली पानी की आपूर्ति के दौरान ब्लीचिंग पाउडर के घोल का उपयोग पानी की शुद्धता के लिए करें।
- पानी की आपूर्ति के लिए पाईप की मरम्मत करा दें, जिससे यदि कहीं पानी का लीकेज हो तो वह बन्द हो जाये।

स्वच्छता की व्यवस्था

- घर के आस–पास, गाँव की गलियों एवं नालियों तथा जल जमा होने वाले स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें।
- सात निश्चय योजना के तहत् ऊँचे स्थलों पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराना सुनिश्चित करें।
- ग्रामवासियों को जागरूक करें कि अपना घर छोड़ने से पूर्व अपने शौचालय की सीट एवं नाली का मुंह बालू की बोरी से बन्द कर दें।

आँगनवाड़ी केन्द्र/उप स्थापन केन्द्र

- पंचायत यह सुनिश्चित कराये कि सभी आँगनवाड़ी केन्द्र या उप स्थापन केन्द्र बाढ़ पूर्व ही सुरक्षित स्थान पर स्थापित हो जाये
- आँगनवाड़ी कार्यकत्री के सहयोग से गाँव के 0–5 वर्ष के बच्चों की सूची तैयार करायें और उसी के अनुसार मानसून पूर्व ही पोषण सामग्री का भण्डारण सुरक्षित स्थान पर करने हेतु सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क करें।
- ए0एन0एम0 एवं आँगनवाड़ी कार्यकत्री के माध्यम से छोटे बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं का टीकाकरण मानसून पूर्व अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
- बाढ़ के दौरान भी बच्चों को पोषण आहार मिले, इस हेतु आँगनवाड़ी केन्द्र के सुरक्षित संचालन हेतु ऊँचे स्थलों का चयन करें।
- समुदाय स्तर पर बाढ़ राहत शिविरों को ध्यान में रखते हुए आँगनवाड़ी सेविकाओं की अलग–अलग टीम बनाना ताकि सभी राहत शिविरों में बने वैकल्पिक आँगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित देखभाल हो सके। साथ ही बच्चों के बीच की 6 फीट की सामाजिक दूरी एवं उनके चेहरे पर फेस मास्क का होना भी सुनिश्चित किया जा सके।

- आँगनवाड़ी सेविकाओं से सम्पर्क स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि राहत शिविर में बच्चों एवं बड़ों के भोजन का समय अलग–अलग हो और उनमें आपस में 6 फीट की सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करते हुए ही भोजन कराया जाये।
- आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों को इस बात हेतु प्रेरित किया जाना सुनिश्चित करें कि राहत शिविरों में दलिया/खिचड़ी/हलवा आदि बनाने में शिविर की महिलाओं का सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए सहयोग करें एवं यह सुनिश्चित करें कि छोटे बच्चों को उम्र के अनुसार पौष्टिक भोजन दिया जा सके।

विद्यालय स्तर पर तैयारी

- बाढ़ के दौरान निचली भूमि पर बने विद्यालयों के बन्द होने की स्थिति में पठन–पाठन की अस्थाई व्यवस्था करने हेतु प्रयास करें।
- अस्थाई विद्यालय चलाने हेतु ऊँचे स्थान का चयन कर लें तथा वहाँ पर बच्चों के बैठने, पानी, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित कर लें।
- अस्थाई विद्यालय का संचालन किये जाने हेतु प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पूर्व में ही पत्र भेजना सुनिश्चित करें।
- अस्थाई विद्यालय के संचालन एवं देख–रेख हेतु समुदाय के उत्साही लोगों को मिलाकर समिति का गठन करें।
- अस्थायी विद्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साफ सफाई हेतु प्रतिदिन बच्चों के जाने के पश्चात समूचे स्कूल को 1 प्रतिशत वाले सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से विसंक्रमित कराने की व्यवस्था करें।
- विद्यालय एवं अन्य खाली स्थानों पर पौधरोपण हेतु जन–जागरूकता चलायें।

बाढ़ पूर्व पशुओं का टीकाकरण

- बाढ़ पूर्व सभी पशुओं का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करने हेतु पशुपालन विभाग से समन्वय स्थापित करें।
- टीकाकरण हेतु तिथि का निर्धारण होने पर समुदाय के सभी लोगों को सूचित करें।
- गाँव स्तर पर उपलब्ध छोटे–बड़े पशुओं की सूची पूर्व में ही तैयार कर पशुपालन अधिकारी को उपलब्ध करायें।

खाद्य सुरक्षा

- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कृषि विभाग की योजनाओं के साथ लघु, सीमान्त विशेषकर महिला किसानों का जुड़ाव सुनिश्चित करें।
- बाढ़ से पूर्व ही जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज एवं मिट्टी के तेल का वितरण करवाना सुनिश्चित करें।
- खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ जुड़ाव स्थापित कर समुदाय को आगामी दो माह का राशन, चीनी, मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

आवागमन हेतु नावों की व्यवस्था

- सी0ओ0 एवं बी0डी0ओ0 को अपने गाँव में नाव की तैनाती हेतु पत्र देना सुनिश्चित करें।
- नाव की तैनाती हेतु निरन्तर फालोअप भी करते रहें।
- सभी सरकारी/देशी/स्थानीय नावों की पहचान कर लें, उनकी स्थिति देख लें और यदि आवश्यक हो तो उसकी मरम्मति कर लें।
- ग्राम पंचायत में स्थित नाव मालिकों की सूची बनाकर उन्हें नाव को आपदा हेतु तैयार रखने के लिए प्रेरित करें।
- नावों को स्थापित करने हेतु ऐसे स्थान का चयन करें, जहाँ सभी की पहुँच आसानी से हो जाय।
- बाढ़ पूर्व पुराने नावों की मरम्मत अवश्य करा लें एवं नाव पर सामाजिक दूरी का पालन करने हेतु निशान बना दें साथ ही उसी के अनुरुप सवारियों की संख्या निर्धारित कर नाव की पट्टी पर अंकित कर दें।

बाढ़ शरणालय की व्यवस्था

- सुरक्षित एवं ऊँचे स्थान पर अस्थाई बाढ़ शरणालय स्थापित कर लें।
- अंचल अधिकारी के माध्यम से उस स्थान पर पीने के पानी, शौचालय, बिजली इत्यादि की व्यवस्था प्रशासन के सहयोग से पहले से ही कर लें।
- शरण स्थल पर गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए अलग से व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- शरण स्थल पर दिव्यांगों हेतु उनके अनुकूल शौचालय, रहने हेतु स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

पूर्व तैयारी (Preparedness)

बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा

- प्रत्येक बच्चे को उनके नाम–पता, सम्पर्क नं0 की पर्ची तैयार कर उसे ताबीज में डालकर बच्चे के गले में पहनाना सुनिश्चित करायें।
- महिलाओं व बच्चों को बाढ़ के दौरान "क्या करें व क्या न करें" के बारे में जानकारी देना सुनिश्चित करें।
- आपदा के दौरान शरणस्थली पर महिलाओं एवं किशोर–किशोरियों की सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि आपदा के समय मानव तस्करी से बचा जा सके।

अन्य कार्य

- ग्राम स्तर पर मोबाइल को चार्ज करने एवं प्रकाश की व्यवस्था हेतु बैटरी एवं सोलर सिस्टम की व्यवस्था हेतु सम्बन्धित हितभागी/हितभागियों से सम्पर्क करें।
- मनरेगा योजना के अन्तर्गत खेतों की मेड़बन्दी एवं समतलीकरण करना सुनिश्चित करें।
- पूर्व चेतावनी दल के लोग बन्धों व कमजोर स्थलों पर नियमित निगरानी करते रहें। साथ ही आपदा की स्थितियों की त्वरित जानकारी प्राप्त करने हेतु संचार माध्यमों जैसे–रेडियो, मोबाईल आदि सुविधाओं से लैस हों।

प्रत्युत्तर (Response)

खोज–बचाव

- यह सुनिश्चित करें कि रिस्पान्स टीम के सभी सदस्य मास्क अवश्य लगाये एवं हाथों में दस्ताने पहने रहें।
- बाढ़ आपदा आने की स्थिति में चेतावनी दल के माध्यम से समुदाय को बाढ़ आपदा की वर्तमान स्थिति की सूचना देते हुए बचाव के उपायों को अपनाने की सूचना दें।
- बाहर से सहायता मिलने तक तक पंचायत स्तर पर गठित खोज एवं बचाव दल के माध्यम से लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- बाहर से आयी टीम को स्थानीय जानकारियों एवं परिस्थितियों से अवगत करायें तथा खोज एवं बचाव कार्यों में उनका यथा सम्भव सहयोग करें।
- अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु समुदाय को जागरूक करें।

- पूर्व तैयार सूची के आधार पर प्रभावित स्थलों से प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं, बीमार, वृद्ध एवं बच्चों, दिव्यांगों को निकलवाना सुनिश्चित करें।
- पूर्व में तैयार विशेष संवेदनशील वर्गों की सूची के अनुसार क्वारंटीन सेन्टर में रहने वालों एवं हॉट स्पॉट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से निकाल कर अलग–अलग भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्राथमिक उपचार

- प्राथमिक उपचार दल के माध्यम से आपदा के दौरान घायल हुए लोगों को प्राथमिक उपचार प्रदान करना एवं आगे के उपचार हेतु स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/चिकित्सा शिविरों पर पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें।
- यह भी सुनिश्चित करें कि नाव में पहले से निर्दिष्ट सवारियों की संख्या से ज्यादा लोगों को न बैठाया जाय ताकि साामजिक दूरी का पालन हो सके साथ ही यह सुनिश्चित करें कि सभी ने मास्क पहना हो।

राहत शिविर संचालन

- राहत शिविर में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का पंजीकरण अवश्य कराएं और ध्यान रखें कि पंजीकरण काउण्टर पर सामाजिक दूरी का पालन अवश्य किया जाय।
- राहत शिविर में आने वाली प्रत्येक वस्तु को सैनिटाइज किये जाने के पश्चात ही उपयोग या वितरित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- शिविर में रह रहे लोगों के बीच जागरूकता प्रसारित करें कि वहाँ रहने वाले लोग निरंतर कुछ वक्त के अंतराल पर अपना हाथ धोना सुनिश्चित करें एवं कोई भी वस्तु छू जाने पर हाथ को तुरन्त धो लिया करें।
- सुनिश्चित करें कि राहत शिविर में पर्याप्त मात्रा में फेस मास्क, हैण्ड सैनिटाइजर की उपलब्धता हो।
- पंचायत के माध्यम से राहत शिविर में कचरे का सुरक्षित निपटान कराना सुनिश्चित करें।
- राहत शिविर में कुछ व्यक्तियों/स्वयंसेवकों को लोगों के बीच में हर समय 6 फीट की सामाजिक दूरी को बनाये रखने की जिम्मेदारी सौंपना सुनिश्चित करें।

- राहत शिविर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु पी0एच0ई0डी0 से सम्पर्क स्थापित करें।
- बाढ़ शरणालय पर खाना बनाने हेतु ईंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु खाद्य आपूर्ति विभाग से सम्पर्क स्थापित करें।
- सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर शरणालय पर रहने वाले लोगों के लिए खाद्यान्न तथा पशुओं के लिए चारा व्यवस्था में सहयोग करें।
- शरणस्थली पर महिला एवं पुरूष के लिए अलग–अलग शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दें।
- बाढ़ शरणालयों पर सुरक्षा दृष्टि से लगी पुलिस एवं अन्य हितभागियों का सहयोग करें।
- घायलों के उपचार हेतु बाढ़ शरणालय पर लगने वाले चिकित्सा शिविरों के सफल संचालन में सहयोग करें।

राहत वितरण

- प्रभावितों की सूची तैयार करायें एवं सूची के हिसाब से राहत वितरण में सहयोग करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी लोगों को राहत मिल जाये।
- राहत वितरण के दौरान प्रभावित लोगों के मध्य 6 फीट की सामाजिक दूरी अवश्य सुनिश्चित करें।
- राहत सामग्री में महिलाओं एवं किशोरियों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे– सैनिटरी पैड, सूती कपड़ा आदि अवश्य रखा जाये।

क्षति आकलन

- आपदा से हुई क्षति का आकलन करें एवं उसकी क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें।

ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना

- बाढ़ आपदा से होने वाले क्षति को कम करने हेतु पूर्व तैयारी एवं रोक–थाम के उपायों को शामिल करते हुए आपदा जोखिम सूचित ग्राम पंचायत कार्य योजना तैयार करना सुनिश्चित करें।

स्वच्छता

- आँगनवाड़ी केंद्र, हेल्थ सेंटर्स, स्कूल एवं पंचायत भवन को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र संचालित कराने में सहयोग करें।
- बाढ़ आपदा के बाद गाँवों में जमा गन्दगी के साफ–सफाई में सहयोग करें एवं ब्लीचिंग पाउडर एवं चूना आदि का छिड़काव सुनिश्चित करें।
- गाँव में जमा मिटटी की गाद को खेत, नाली, सड़क एवं अन्य किसी भी जगह से शीघ्रता से साफ कराने में मदद करें।
- बाढ़ के दौरान अत्यधिक जाम हो गयी नालियों की पहचान कर उनकी मरम्मति एवं साफ–सफाई सुनिश्चित करें।
- हैंडपंपों एवं सार्वजनिक पेयजल सुविधाओं का कीटाणुशोधन और क्लोरीनेशन किया जाना सुनिश्चित करें।

नाव दुर्घटना

पूर्व तैयारी (Preparedness)

- ग्राम पंचायत में उपलब्ध नावों की सूची बनाकर उनकी स्थिति की जानकारी लें कि वह सही दशा में हों और उन पर लदान क्षमता लिख जाये।
- स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर सुरक्षित नौका परिचालन पर नाव चालकों एवं नाव मालिकों का प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।
- समुदाय में इस आशय का जागरूकता अभियान चलायें कि–
    - जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो, उसी नाव से यात्रा करें।
    - जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगा हो, उसी नाव से यात्रा करें।
    - किसी भी स्थिति में ओवरलोडेड नाव पर न बैठें।
    - नाव चलने से पहले देख लें कि लदान क्षमता दर्शाने वाली सफेद पट्टी का निशान डूबा तो नहीं है। यदि डूबा है तो उस नाव से तुरन्त उतर जायें।
    - बारिश होने की स्थिति में नाव में यात्रा न करें।
    - जिस नाव पर जानवर हों, उस नाव में यात्रा न करें।
    - छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
    - जर्जर अथवा टूटी–फूटी नाव पर यात्रा न करें। यह जानलेवा हो सकता है।
    - जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ बाय के साथ प्राथमिक उपचार बाक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों, उसी नाव से यात्रा करें।
    - नाव में यात्रा करने के दौरान शांत बैठें व उतरते–चढ़ते समय क्रम से नाविक के निर्देशानुसार ही उतरें–चढ़ें।

- सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें। यह खतरनाक हो सकती है।
- नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं और नाविक के ऊपर किसी तरह का दबाव न डालें।

- नाव चालकों व नाव मालिकों के साथ जागरूकता अभियान चलायें कि–
  - जब तेज हवा/खराब मौसम/आँधी/बारिश हो रही हो तो नाव का संचालन न करें।
  - जिस नाव पर 15 से 30 लोगों तक सवारी बैठती हो तो उस नाव पर 2 नाविक होना अनिवार्य है तथा 30 से ऊपर बैठाने वाली बड़ी नाव पर 3 नाविकों का होना अनिवार्य है।
  - बीमार व्यक्तियों/गर्भवती माता को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता दें।
  - किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन करने के लिए न दें।
  - नाव पर किसी भी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकें।
  - जिस नाव पर जानवर ढोये जा रहे हों, उस नाव में जानवर के मालिक के अतिरिक्त अन्य कोई सवारी न बैठायें।
  - किसी भी तरह की नाव, चाहे सवारी ढोने वाली हो अथवा जानवर या सामान ढोने वाली हो, सभी पर लदान क्षमता अवश्य अंकित करायें।
  - नाव से पानी निकालने/उलीचने के लिए बर्तन अवश्य रखें।
  - रात में नाव का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त कर विशेष अनुमति के साथ ही संचालन करें।
  - मानसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 5.30 बजे शाम के बाद नाव का परिचालन न करें।

प्रत्युत्तर (Response)

- नाव दुर्घटना होने की स्थिति में पंचायत स्तर पर पूर्व चिन्हित तैराकों/गोताखोरों को अविलम्ब सूचित कर उन्हें दुर्घटना स्थल पर पहुँचने के लिए कहें।
- बचाव कार्य के दौरान बच्चों, गर्भवती माताओं, महिलाओं एवं वृद्धों को निकालने में प्राथमिकता दें।

पुनर्वापसी (Recovery)

- बचाये गये सभी लोगों को आवश्यक प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायें।
- क्षति का आकलन कर प्रशासन को सूचित करें।

डूबने की घटना

पूर्व तैयारी (Preparedness)

डूबने से बचाने हेतु रोक–थाम

क्या करें?

- नदी/तालाबों की गहराई हेतु संकेतक लगायें और समुदाय में इसकी सूचना भी प्रसारित करायें।
- ग्राम पंचायत स्तर पर तैराकों व गोताखोरों की पहचान कर सम्पर्क नम्बर सहित उनकी सूची तैयार करें।
- तैयार सूची को पंचायत भवन पर चस्पा करें व लोगों को इस विषय में जागरूक भी करें।
- बच्चों को नदी/तालाबों/तेज पानी के बहाव में स्नान करने से रोकें।
- बच्चों को पुल/पुलिया/ऊँचे टीलों से पानी में कूद कर स्नान करने से रोकें।
- इस बात के लिए विशेषकर बच्चों व किशोरों सहित समुदाय को जागरूक करें कि नदी में उतरते समय गहराई का अन्दाजा लगा लें।
- गाँव/टोले में डूबने की घटना होने पर आस–पास के लोगों को एकत्रित कर दुखद घटना के बारे में चर्चा करें एवं भविष्य के सुरक्षा उपायों के बारे में रणनीति बनायें।

क्या न करें :

- खतरनाक घाटों के किनारों पर न जायें और न ही बच्चों को जाने दें।

प्रत्युत्तर (Response)

डूबने की घटना होने के दौरान

क्या करें

- डूबते व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी या बाँस की सहायता से बचायें।
- यदि तैरना नहीं जानते हैं तो स्वयं पानी में न जायें और सहायता के लिए शोर मचायें।
- पहले से चिन्हित तैराकों/गोताखोरों को फोन कर उनकी उपलब्धता के आधार पर उन्हें घटनास्थल पर बुलाना सुनिश्चित करें।

पूर्व तैयारी (Preparedness)

डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के बाद

क्या करें

- व्यक्ति को बाहर निकाल कर सबसे पहले देख लें, यदि डूबे हुए व्यक्ति के मुँह व नाक में कुछ फँसा हो तो निकाल दें।
- नाक और मुँह पर उँगलियों के स्पर्श से जाँच कर लें कि डूबे हुए व्यक्ति की साँस चल रही है कि नहीं।
- नब्ज व सास का पता नही चलने पर डूबे व्यक्ति के मुँह से मुँह लगाकर दो बार भरपूर साँस दें व 30 बार छाती के बीच में दबाव दें तथा इस विधि को 3–4 बार दुहरायें। ऐसा करने से धड़कन वापस आ सकती है व साँस चलना शुरू हो सकती है।
- यदि प्रभावित व्यक्ति का पेट फूला हुआ है तो पूरी संभावना है कि उसने पानी पी लिया होगा, अतः पेट से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू करें।
- नब्ज की जाँच करने के लिए गले में किनारे के हिस्सों में उँगलियों से छूकर जानकारी प्राप्त करें कि नस चल रही है कि नहीं।
- डूबे हुए व्यक्ति को पेट के बल सुलाएँ तथा पेट के नीचे तकिया या छोटा बर्तन जो भी उपलब्ध हो उसे लगा दें।

इसके बाद पीठ के निचले हिस्से पर धीरे–धीरे दबाकर पानी बाहर निकालें।

- मूर्छा या बेहोशी आने पर पुनः साँस देने व छाती में दबाव देने की प्रक्रिया शुरू करें।
- उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाये गये व्यक्ति को नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जायें।
- डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो भी साधन उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें या 108/102 पर फोन कर एम्बुलेंस बुला लें।

सुखाड

पूर्व तैयारी (Preparedness)

- ग्राम पंचायत के सभी कुंओं की मरम्मति तथा तालाबों को गहरा करायें जिससे पानी का संग्रहण पर्याप्त होता रहे।
- खराब पड़े हैण्डपम्पों की पहचान एवं मरम्मति सुनिश्चित कर लें।
- कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर जागरूकता प्रसारित करें कि किसान कम पानी चाहने वाली फसलों व सूखा सहनशील प्रजातियों की खेती करें।
- जल संरक्षण हेतु किये जाने वाले उपायों– मेड़बन्दी, तालाब गहरीकरण आदि पर जागरूकता अभियान चलायें।
- सूखा स्थितियों से निपटने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर अनाज एवं चारा बैंक की स्थापना सुनिश्चित करें।
- अत्यधिक सूखा की स्थितियों में पशुओं सहित आश्रय लेने हेतु जल की उपलब्धता वाले स्थलों की पूर्व में ही पहचान सुनिश्चित कर लें।
- ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीनों पर वृक्षारोपण सुनिश्चित करें।
- व्यक्तिगत व सामूहिक सोख्ता गढ्ढों को प्रोत्साहित करें।
- वर्षा जल संचयन की प्रणाली को विकसित करने पर जोर दें।

प्रत्युत्तर (Response)

- अत्यधिक सूखा की स्थितियों में तालाब आदि सूख जाने की स्थिति में पंचायत के माध्यम से पशुओं के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

पुनर्वापसी (Recovery)

- सूखा आपदा से निपटने हेतु उपायों को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करना सुनिश्चित करें।

अगलगी

पूर्व तैयारी (Preparedness)

- ग्राम पंचायत के सभी कुंओं की मरम्मति तथा तालाबों को गहरा करने हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करें ताकि अगलगी आपदा के समय पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- प्रत्येक गाँव में 10000 लीटर क्षमता का स्थाई टैंक हो, जिससे पर्याप्त मात्रा में पानी लिया जा सके।
- अगलगी की संभावना वाले स्थानों की पहचान सुनिश्चित करें ताकि उसी के अनुरूप कार्य योजना बनायी जा सके।
- कम से कम दो सुरक्षित मार्गों का पूर्व निर्धारण कर लें ताकि आग के दौरान इन मार्गों का प्रयोग किया जा सके।
- सभी सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था करने हेतु भवन स्वामियों/अधिकारियों को प्रेरित करें।
- विशेष रूप से गाँव की आबादी के पास के ट्यूबवेल को हमेशा सही अवस्था में एवं तैयार रखना सुनिश्चित करें ताकि आपदा की स्थिति में जल की उपलब्धता हो सके।
- अगलगी आपदा से बचाव हेतु ''क्या करें'' और ''क्या न करें'' पर जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें, जिसके माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर अधिक मात्रा में पानी लिया जा सके।
- "हर घर नल का जल" कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ पूर्व चिन्हित स्थानों पर हाइड्रेण्ट/चेकवाल्ब लगाया जाना सुनिश्चित करें।
- गाँव के अन्दर स्थापित जोखिम वाले सामानों जैसे– पटाखा, गैस सिलेण्डर आदि की बिक्री वाले दुकानों को गाँव से बाहर करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा निर्देश जारी कराया जाना सुनिश्चित करें।

- आपदा प्रबन्धन विभाग से समन्वय स्थापित कर गांव में अगलगी आपदा से बचाव हेतु पूर्वाभ्यास (मॉकड्रिल) का आयोजन करायें।

पूर्व तैयारी (Preparedness)

- पूर्वाभ्यास के दौरान एकत्रित भीड़ के बीच 6 फीट की सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करायें और यह भी सुनिश्चित करें कि सभी लोग मास्क पहने हों।
- यह सुनिश्चित करें कि गाँव स्तर पर सभी लोगों को आग से बचाव सम्बन्धित प्राथमिक जानकारी अवश्य हो। उदाहरणस्वरूप, घर में या कमरे में धुंआ भर जाने पर जमीन पर लेट जायें। आग लग जाने की स्थिति में दौड़े नहीं, वरन् नीचे लेटकर लुढ़कें।
- आग लग जाने की स्थिति में आग बुझाने हेतु जलस्रोतों को चिन्हित करके रखें एवं उतनी दूर से खलिहान तक के लिए सिंचाई पाइप और पम्पसेट हमेशा तैयार रखें।
- ग्राम पंचायत स्तर पर आग बुझाने के यंत्रों एवं सिंचाई पाइप व सेक्शन पाइप की उपलब्धता सुनिश्चित करें साथ ही अगलगी आपदा की स्थिति में फायर ब्रिगेड को बुलाने हेतु टोल फ्री नं0 101 के बारे में भी जागरूकता प्रसारित करें।

प्रत्युत्तर (Response)

- आग लगने पर समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें।
- फायर ब्रिगेड (101 नम्बर) एवं प्रशासन को तुरंत सूचित करें एवं उन्हें सहयोग करें।
- पूर्व चिन्हित सुरक्षित मार्गों का प्रयोग करते हुए समुदाय को आग वाले स्थल से सुरक्षित स्थानों की ओर भेजना सुनिश्चित करें।
- आपदा के दौरान घायलों को निकट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि इस दौरान बचाव कर्मी फेस मास्क अवश्य लगाकर रखें।
- यद्यपि अगलगी आपदा इतनी त्वरित होती है कि इसमें इतना समय नहीं मिलता, फिर भी जहाँ तक संभव हो कोरोना वायरस से बचाव के उपायों को अवश्य अपनायें।

पुनर्वापसी [Recovery]

- अगलगी आपदा से सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति का आकलन करें एवं सम्बन्धित विभाग को इसकी सूचना प्रेषित करें।
- आपदा प्रभावितों की सूची तैयार कर आपदा विभाग को प्रस्तुत करें।
- आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने हेतु विभाग से समन्वय स्थापित करें।
- ग्राम पंचायत विकास योजना में अगलगी आपदा से बचाव हेतु पूर्व तैयारी के उपायों को शामिल करें एवं उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

भूकम्प

पूर्व तैयारी (Preparedness)

- गाँव स्तर पर समुदाय में जागरूकता प्रसारित करें कि नये मकान बनवाते समय भूकम्परोधी मकानों का निर्माण सुनिश्चित करें। भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु भवन संहिता में दिये गये दिशा–निर्देशों के बारे में जागरूकता अभियान चलायें।
- बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की सूची को ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
- पंचायत के राजमिस्त्री/राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी भवन निर्माण पर प्रशिक्षण कराने हेतु अंचलाधिकारी से अनुरोध करें।
- ऐसे सभी कमजोर सरकारी/गैरसरकारी भवनों का चिन्हीकरण करें, जो जर्जर स्थिति में हों।
- भूकम्प आने के बाद समुदाय को एक जगह एकत्र करने हेतु सुरक्षित खुला क्षेत्र की पहचान सुनिश्चित कर लें।
- भूकम्प आने के दौरान बचाव हेतु ''क्या करें और क्या न करें'' पर जागरूकता अभियान चलायें।
- अपने आस–पास के चिकित्सा केन्द्रों, अग्निशमन केन्द्रों एवं पुलिस चौकियों के बारे में पर्याप्त जानकारी रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता ली जा सके।
- भूकम्प से बचाव के उपायों– जैसे– ''भूकम्प आने की स्थिति में किसी मेज या मजबूत फर्नीचर के नीचे बैठ कर उसके पाये को मजबूती से पकड़ कर रखें।'' अगर घर में कोई मजबूत मेज या फर्नीचर नहीं है तो घुटने के बल मजबूत दीवार के साथ फर्श पर बैठ जायें और अपने दोनों हाथ जमीन पर रखें।'' आदि के ऊपर समय–समय पर नियमित रूप से मॉकड्रिल का आयोजन अपने गाँव में करायें और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करायें।

पूर्व तैयारी (Preparedness)

- मॉकड्रिल के दौरान कोरोना से बचाव हेतु लोगों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी का पालन करायें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि सभी लोग मास्क लगायें हों।
- आपदा के दौरान रिस्पान्स करने हेतु विभिन्न टीमों जैसे– आपदा प्रबन्धन समिति, जागरूकता अभियान समिति, चेतावनी दल, निकासी दल, सुरक्षा दल, खोज एवं बचाव दल, प्राथमिक उपचार दल, अग्निशमन दल, परिवहन प्रबन्धन दल, आश्रय संचालन दल का गठन कर उनका क्षमता वर्धन करने हेतु सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क करें।
- आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी संगठनों से सम्पर्क स्थापित करें तथा पंचायत/ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन व जीवन बचाव सम्बन्धित तकनीकी प्रशिक्षणों का आयोजन सुनिश्चित करायें।

प्रत्युत्तर (Response)

- चेतावनी दल के सदस्यों के माध्यम से आपदा के दौरान समुदाय के लोगों को तत्काल सूचित करायें कि जो जहाँ पर है, वहाँ सुरक्षित स्थान का आश्रय ले ले।
- निकासी दल के माध्यम से आपदा के दौरान समुदाय के लोगों को घर से बाहर शान्तिपूर्वक निकालने में मदद कराना सुनिश्चित करें।
- पूर्व चिन्हित एवं पूर्व निर्धारित स्थान पर ग्रामीणों को एकत्र होने के बाद यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। यदि कोई व्यक्ति गायब है तो खोज एवं बचाव दल द्वारा उनकी खोज सुनिश्चित करायें।

पुनर्वापसी (Recovery)

- भयभीत न हों, शान्ति बनाये रखें, न तो स्वयं अफवाह फैलायें और न ही अफवाहों पर ध्यान दें।
- भूकम्प से पंचायत/ग्राम स्तर पर हुई क्षति का आकलन करें एवं स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर दें।
- झटके के बाद की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने रेडियो या टी0वी0 को ऑन करें।
- पुनः झटकों के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये कभी भी आ सकते हैं।
- पानी के पाइप, बिजली के तारों, स्विच आदि की जाँच करें। यदि ये क्षतिग्रस्त हैं तो इनके ठीक होने तक न तो इन्हें छुएं और न ही इन्हें ऑन करें।
- गैस स्टोव आदि का नॉब बन्द किये रहें।
- यदि आवश्यक हो तभी दरवाजा और आलमारी खोलें, क्योंकि उसमें रखे सामान गिर सकते हैं।
- पीने के पानी और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित स्थानों पर रखें ताकि आसानी से प्राप्त कर सकें।

शीतलहर

पूर्व तैयारी (Preparedness)

- शीतलहर पड़ने की स्थिति में अलाव जलाने हेतु लकड़ी की व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित कर लें।
- शीतलहर से बचाव हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा जारी ''क्या करें'' और ''क्या न करें'' पर जागरूकता अभियान चलायें।
- ऐसे परिवारों को चिन्हित करें, जिनके पास शीतलहर से बचाव के पर्याप्त साधन न हों और आपदा की दृष्टि से वे अत्यन्त वंचित श्रेणी में आते हों।
- शीतलहर की दृष्टि से नाजुक परिवारों को कम्बल इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु पंचायत स्वयं अथवा स्वयंसेवी संस्थानों से सम्पर्क करें।
- ऐसे गरीब परिवार, जिनकी स्थिति दयनीय हो, उनकी सूची तैयार कर अंचलाधिकारी को उपलब्ध करायें।

प्रत्युत्तर (Response)

- शीतलहर की स्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर स्थान–स्थान पर अलाव जलवाना सुनिश्चित करें।
- पूर्व चिन्हित नाजुक परिवारों के लिए शीतलहर से बचाव हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

पुनर्वापसी (Recovery)

- आपदा से हुई क्षति का आकलन कर उसकी क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित करें।
- शीतलहर से बचाव के उपायों को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल कर उस पर कार्य करना सुनिश्चित करें।

लू लगना

पूर्व तैयारी (Preparedness)

- लू से बचाव हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर जारी एडवायजरी एवं ''क्या करें'' और ''क्या न करें'' पर जागरूकता अभियान चलायें।
- स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान एवं आगामी तापमान के परिवर्तन के बारे में विश्वसनीय स्रोतों से निरन्तर जानकारियां प्राप्त कर समुदाय में प्रसारित करते रहें।
- ग्राम पंचायत स्तर पर स्थान–स्थान पर ठण्डे पानी के प्याउ लगवाना सुनिश्चित करें।
- लू से बचाव हेतु योजनाओं जैसे– प्याउ का निर्माण, पानी ठहराव स्थल पर शेड का निर्माण, पशुओं के शेड का निर्माण आदि को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें।
- लू से बचने के उपायों के बारे में जागरूक करने हेतु पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रत्युत्तर (Response)

- यह सुनिश्चित करें कि आँगनवाड़ी कार्यकत्री एवं आशा के पास पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 की उपलब्धता हो।
- लू प्रभावित व्यक्ति को निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार हेतु भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

वज्रपात (Budk)

पूर्व तैयारी (Preparedness)

- वज्रपात (Budk) से बचाव हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा जारी ''क्या करें'' और ''क्या न करें'' पर जागरूकता अभियान चलायें।
- समुदाय में लोगों को इन्द्रवज्र एप डाउनलोड करने हेतु प्रेरित करें।
- समुदाय स्तर पर लोगों को स्थानीय संसाधनों से तड़ित चालक बनाने एवं लगाने का प्रशिक्षण दिलाया जाना सुनिश्चित करें।
- पंचायत अन्तर्गत सभी सरकारी भवनों, विद्यालयों में तड़ित चालक लगाने हेतु सम्बन्धित विभाग को प्रेरित करें।

प्रत्युत्तर (Response)

- आसमानी बिजली के झटके से घायल होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था करें।

सुरक्षित छठ पूजा/भगदड़

पूर्व तैयारी (Preparedness)

- प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।
- घाटों की साफ–सफाई एवं सुन्दरीकरण कराना सुनिश्चित करें।
- खतरनाक घाटों व गहराई वाले स्थानों की पहचान कर वहां पर बैरिकेडिंग लगवाना सुनिश्चित करें।
- छठ पूजा के दौरान ''क्या करें और क्या न करें'' पर समुदाय के बीच जागरूकता प्रसारित करें।
- सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से छठ पूजा वाले स्थानों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रखें।
- किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस का सहयोग लेने हेतु प्रशासन को पूर्व में सूचित करें।
- शान्तिप्रिय माहौल बनाये रखने के लिए ग्राम सभा के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार करें।
- तालाब इत्यादि की साफ–सफाई हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित सामुदायिक स्वयंसेवकों के दिशा–निर्देश के अनुसार काम करें।

प्रत्युत्तर (Response)

- अफवाहें न फैलाएं और न ही उन पर विश्वास करें।
- यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति/महिला/बच्चा बैरिकेडिंग को न पार करे और खतरनाक घाटों की ओर या गहरे पानी की ओर न जायें।
- छठ पूजा क्षेत्र में कहीं भी आतिशबाजी न होने दें।
- अगर आवश्यक हो तो पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना सुनिश्चित करें।

पुनर्वापसी (Recovery)

- छठ पूजा के बाद घाटों की साफ–सफाई करवाना सुनिश्चित करें ताकि गन्दगी से कोई बीमारी आदि फैलने की आशंका न रहे।
- यदि भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी हो तो घायलों को निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँचाने व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

सर्पदंश

बाढ़ के दौरान एवं सामान्य स्थिति में भी सर्पदंश की घटनाएं अधिक होती हैं। एक तथ्य यह भी है कि सर्पदंश से होने वाली मौतों के मामले में अधिकाँश मौतें विषहीन साँपों के काटने से होती हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि सर्पदंश से बचाव, सर्पदंश की घटना हो जाने के बाद ''क्या करें और क्या न करें'' तथा सर्पदंश के उपचार के विषय में लोग जागरूक हों तो इस आपदा के कारण होने वाली मानव क्षति को बहुत हद तक रोका जा सकता है।

बिहार राज्य ने अब सर्पदंश को सामान्य स्थिति में भी एक आपदा के तौर पर मानकर उसके लिए अहेतुक राशि निर्धारित की है। ऐसी स्थिति में सर्पदंश आपदा से लोगों को बचाने हेतु पंचायत स्तर पर तैयारी की जानी आवश्यक है।

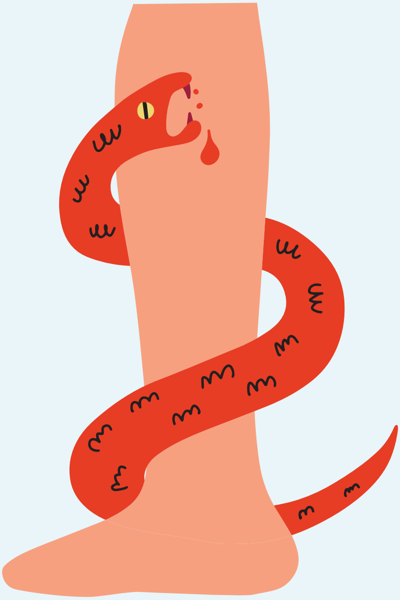

पंचायत स्तर पर तैयारीः

- विषहीन व विषैले साँपों के काटे के अन्तर को बताते हुए समुदाय के अन्दर जागरूकता प्रसारित करें ताकि साँपों के काटने से मानव क्षति कम से कम हो सके।
- समुदाय को विषैले साँपों के काटने के लक्षणों के बारे में बतायें। उन्हें बतायें कि–
  - विषैले साँप द्वारा काटे अथवा दंश वाले स्थान पर दर्द होता है, जबकि विषहीन साँप द्वारा काटे जाने वाले स्थान पर कोई दर्द नहीं होता है।
  - ऐसे व्यक्ति को नींद बहुत आती है।
  - पीड़ित व्यक्ति को साँस लेने में परेशानी होती है।
  - पीड़ित व्यक्ति की पलकें अन्दर की ओर धंस जाती हैं।
  - किसी–किसी व्यक्ति को पक्षाघात भी हो जाता है।
  - पीड़ित व्यक्ति के मुंह से झाग निकलने लगता है।
  - अधिक पसीना आता है।
  - आँखों से धुँधला दिखाई देता है।
- पंचायत स्तर पर गठित स्वास्थ्य समिति को सर्पदंश के बाद अपनायी जाने वाली सावधानियों तथा उपचार के बारे में प्रशिक्षित करें।
- समुदाय में समय–समय पर सर्पदंश की स्थिति में ''क्या करें और क्या न करें'' के ऊपर जागरूकता अभियान चलायें–

  सर्पदंश की स्थिति में क्या करें–

  - साँप काटे स्थान को तुरन्त साबुन से धोएं।
  - दाँत के निशान की जाँच करें कि विषैले सर्प ने काटा है या विषहीन सर्प ने।
  - अगर विषैले सर्प ने काटा है तो तुरन्त एम्बुलेन्स बुलाएं और पीड़ित को निकट के सरकारी अस्पताल तक ले जाकर जहर के अनुसार एवीएस (Anti Venom Serum) का इन्जेक्शन लगवायें।
  - घाव के ऊपर पट्टी बाँध दें।

- इस दौरान सर्प काटे व्यक्ति को शान्त रहने के लिए कहें। उसे बतायें कि यदि आप घबरायेंगे तो आपकी हृदय की गति बढ़ जायेगी और इससे रक्त प्रवाह में तेजी आने की स्थिति में शरीर में जहर फैलने की गति तेज हो जायेगी।
- जहाँ सर्प काटा है, वहाँ के आभूषण (यदि कोई हो तो) तथा चुस्त कपडे उतार दें।

सर्पदंश की स्थिति में क्या न करें–

- मंत्र या तांत्रिक के झाँसे में न आयें।
- साँप काटे स्थान पर बर्फ या गरम पदार्थ न लगाये।
- सर्प काटे स्थान पर चीरा न लगायें। खून की मुख्य नस कट जाने पर अत्यधिक खून बह जाने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को बचाना मुश्किल हो जायेगा।
- काटे हुए स्थान के ऊपर या नीचे रस्सी से न बांधे।
- घाव को कुरेदे नहीं अथवा मुँह से जहर निकालने का प्रयास न करें।
- डॉक्टर या विशेषज्ञ के निर्देशों के बिना प्रभावित व्यक्ति को दवायें न दें।
- जहाँ घाव लगा हो, उस हिस्से को हृदय के ऊपर न होने दें

- लोगों को साँपों के बिलों की जानकारी एवं पहचान के ऊपर जागरूक करें ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर खूब देख–भाल कर ही बिलों में हाथ डालें।
- बारिश के समय, बाढ़ के दौरान, रात में और खेत में रहने के दौरान सतर्क रहने हेतु समुदाय को जागरूक करें।
- लोगों को बतायें कि रात में अथवा खेतों में जाते समय बूट, जूता अवश्य पहने रहें ताकि पैर ढँके रहें।

- लोगों को जागरूक करें कि वे विशेषकर मानसून के दिनों में जमीन पर सोने से बचें।
- मुर्गी, कबूतर, खरगोश इत्यादि छोटे पालतू जानवरों को घरों से दूर रखें, क्योंकि साँप इनकी तलाश में घरों तक आकर नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- कूड़ा–करकट, मलबा, बिलों और दीवारों में पड़ी दरारों या छेद के आस–पास सावधानी रखें।
- पंचायत प्रतिनिधि अपने स्तर पर यह जानकारी अवश्य रखें कि आस–पास निकट स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एण्टी विनम सीरम है अथवा नहीं। अगर नहीं है तो स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर उसकी उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित करायें ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त उपयोग किया जा सके।

संलग्नक 1

बहु आपदाओं से बचाव हेतु चेकलिस्ट

क्रमांक	की जाने वाली गतिविधियां	कार्य सम्पादन की स्थिति	
		हाँ	नहीं
बाढ़			
1	ग्राम पंचायत को प्रभावित करने वाले कमजोर तटबन्धों की पहचान हो गयी है।		
2	राहत शिविर, क्वारण्टीन सेण्टर एवं सामुदायिक रसोई की सुविधा सहित सुरक्षित आश्रय स्थलों एवं वहाँ तक पहुँचने हेतु सुरक्षित वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण किया गया है।		
3	सभी गढ्ढों एवं डूबने का खतरा वाले स्थानों की पहचान हो गयी है।		
4	जल निकासी हेतु नालों/नालियों की मरम्मति/निर्माण किया गया है।		
5	सम्पर्क मार्ग का उच्चीकरण हुआ है।		
6	बाढ़ सूचना एवं संसाधन केन्द्र की स्थापना तथा वहाँ पर लाइफ जैकेट, मेगाफोन, टार्च, लाठी आदि की उपलब्धता है।		
7	बाढ़ की दृष्टि से नाजुक परिवारों का चिन्हीकरण किया गया है।		
8	गाँव स्तर पर बाढ़ से बचाव हेतु पूर्वाभ्यास का आयोजन हुआ है।		
9	निचले स्थानों पर लगे इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों का चिन्हीकरण हुआ है।		
10	बाढ़ पूर्व हैण्डपम्पों का उच्चीकरण हुआ है।		
11	बन्द या खराब पड़े हैण्डपम्पों का चिन्हीकरण एवं मरम्मति हुई है।		
12	ऊँचे स्थानों पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ है।		
13	आपदा के दौरान सुचारू कार्य सम्पादन के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है।		

14	अस्थाई आँगनवाड़ी केन्द्र संचालन हेतु सुरक्षित ऊँचे स्थल की पहचान की गयी है।		
15	अस्थाई विद्यालय संचलन हेतु सुरक्षित ऊँचे स्थल की पहचान की गयी है।		
16	महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित कर लिया गया है।		
17	सूखा भोजन जैसे– चना, लईया, गुड़ सत्तू, नमक आदि की व्यवस्था है।		
18	आपदा प्रबन्धन हेतु विभिन्न विषयों पर चलाये जाने वाले प्रशिक्षणों में भागीदारी होती है।		
19	सुरक्षित स्थानों तक पहुँचने के वैकल्पिक मार्गों की पहचान की गयी है।		
20	आपदा की स्थिति में गाँव से निकासी व आवागमन हेतु नाव की व्यवस्था है।		
21	आपदा की स्थिति में सम्पर्क करने हेतु महत्वपूर्ण केन्द्रों के नम्बर एकत्र हैं।		
नाव दुर्घटना			
1	पंचायत स्तर पर उपलब्ध नावों की सूची तैयार है।		
2	उपलब्ध नावों पर लदान क्षमता अंकित है।		
3	सुरक्षित नौका परिचालन पर नाव चालकों एवं नाव मालिकों का प्रशिक्षण हुआ है।		
4	नाव दुर्घटना से बचाव हेतु समुदाय में जागरूकता अभियान चलाया गया है।		
डूबने की घटना			
1	ग्राम पंचायत स्तर पर तैराकों व गोताखोरों की सूची सम्पर्क नं0 सहित उपलब्ध है।		
सुखाड़			
1	पारम्परिक जलस्रोतों – तालाब आदि की साफ–सफाई व गहरीकरण किया गया है ।		
2	खराब हैण्डपम्पों की पहचान व मरम्मति की गयी है।		
3	खेती में सूखा सहनशील प्रजातियों व गतिविधियों को अपनाया जा रहा है।		

4	समुदाय स्तर पर अनाज, बीज एवं चारा बैंक की स्थापना की गयी है।		
5	पशुओं एवं मानव के लिए जलस्रोतों सहित शरणस्थली की पहचान की गयी है।		
6	कम पानी चाहने वाले वृक्षों का रोपण हुआ है।		
अगलगी			
1	पंचायत स्तर पर उपलब्ध डीजल इंजनों की पहचान हुई है।		
2	डीजल इंजन की स्थिति की जाँच हुई है।		
3	आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने हेतु पानी लेने के लिए जलस्रोतों की पहचान है।		
4	''क्या करें'' व ''क्या न करें'' के ऊपर जानकारी है।		
5	अगलगी की स्थिति में सुरक्षित निकासी हेतु वैकल्पिक मार्गों की पहचान है।		
6	गैस सिलेण्डर एवं रेग्यूलेटर की समय–समय पर जाँच होती है।		
7	आपातकालीन सेवा हेतु अग्निशमन टोल फ्री नं0 की जानकारी है।		
8	अगलगी पर पूर्वाभ्यासों में बच्चों एवं अपनी सहभागिता होती है।		
9	उच्च गुणवत्ता वाले तारों व स्विचों का प्रयोग हुआ है।		
10	खलिहान में पानी की व्यवस्था है।		
11	खेत में फसल अपशिष्टों को जलाते हैं।		
भूकम्प			
1	भूकम्प आने के दौरान बचने के लिए राज्य सरकार जारी ''क्या करें'' व क्या न करें'' पर जानकारी है।		
2	आस–पास के चिकित्सा केन्द्रों, अग्निशमन केन्द्रों एवं पुलिस चौकियों आदि के बारे में जानकारी है।		
3	शरण लेने हेतु सुरक्षित आश्रय स्थल की पहचान है।		

शीतलहर			
1	अलाव जलाने हेतु सभी स्थानों पर लकड़ियों की व्यवस्था है।		
2	खेत में पर्याप्त नमी है।		
3	परिवार के सभी सदस्यों के पास गर्म कपड़े की उपलब्धता है।		
लू लगना			
1	लू लगने के दौरान "क्या करें" व "क्या न करें" पर जानकारी है।		
2	आवश्यकता पड़ने पर इलाज हेतु निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की पहचान की गयी है।		
सुरक्षित छठ पूजा/भगदड़			
1	घाटों की साफ–सफाई एवं सुन्दरीकरण हुआ है।		
2	"क्या करें" व "क्या न करें" पर जानकारी है।		
3	छठ पूजा वाले स्थानों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है।		
4	खतरनाक घाटों व गहराई वाले स्थानों की पहचान कर वहाँ पर बैरिकेडिंग लगवाया गया है।		
5	पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित हुआ है।		
सर्पदंश			
1	समुदाय के अन्दर विषैले साँपों के काटने के लक्षणों की पहचान के ऊपर जागरूकता है।		
2	सर्पदंश में "क्या करें" और "क्या न करें" पर जागरूकता अभियान चलाया गया है।		
3	एण्टी विनम सीरम की उपलब्धता वाले स्वास्थ्य उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की पहचान की गयी है।		
4	सर्पदंश से बचाव "क्या करें व क्या न करें" के ऊपर स्वास्थ्य समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण हुआ है।		

संलग्नक 2

महापर्व छठ पूजा पर बिहार सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश

- जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्थानीय छठ पूजा समितियों, नागरिक इकाईयों, वार्ड पार्षदों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करने के लिए बैठकें आयोजित कर कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से समय–समय पर निर्गत निर्देशों का पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाये।

- सामान्यतः गंगा नदी और अन्य महत्वपूर्ण नदियों के किनारे अवस्थित घाटों पर छठ पर्व के दौरान अत्यधिक भीड़ होती है, जिसके दौरान दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक दूरी का अनुपालन करा पाना कठिन है। इसलिए लोगों को अधिकाधिक रूप से प्रेरित किया जाये कि अपने घरों पर ही छठ पूजा करें। गंगा नदी और अन्य महत्वपूर्ण नदियों और तालाब घाटों पर कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए छठ पर्व के दौरान सुबह और शाम को दिये जाने वाले अर्ध्य को घर पर ही करने की सलाह दी जाये।

- महत्वपूर्ण नदियों से व्रती अगर पूजा के लिए जल लेकर जाना चाहें तो जिला प्रशासन द्वारा इसको रेगुलेट करते हुए जल ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान भी मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में अवस्थित छोटे तालाबों पर छठ महापर्व के आयोजन के दौरान मास्क के प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन कराया जाना चाहिए।

- ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में अवस्थित तालाबों पर, जहाँ अर्ध्य की अनुमति दी जायेगी, वहाँ अर्ध्य के पहले और बाद में सैनिटाईजेशन का कार्य नगर निकाय और ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाना चाहिए। इसके लिए नगर विकास और आवास विभाग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए।

- विभिन्न स्तरों पर छठ पूजा समितियों/मेला समितियों के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें कोरोना के संक्रमण के विभिन्न पहलुओं और बरती जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना चाहिए।

- जिन तालाबों पर अर्ध्य की अनुमति दी जाये, वहाँ कोरोना से

सम्बन्धित जागरूकता फैलाने की भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए आवश्यक प्रचार–प्रसार के सामान का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी जागरूकता उत्पन्न किया जाना चाहिए।

- छठ पूजा के आयोजकों/कार्यकर्ताओं और उससे सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
- छठ पूजा घाट पर अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों, यथा–बैरिकेडिंग आदि को समय–समय पर साफ और प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाये।
- आमजन को खतरनाक घाटों के बारे में समाचार माध्यमों से सूचना दी जाये ताकि अधिक भीड़ –भाड़ की स्थिति न बने।
- छठ पूजा घाट पर यत्र–तत्र थूकना सर्वथा वर्जित होगा।
- तालाब के किनारे इस प्रकार की बैरिकेडिंग की जाये कि लोग डुबकी न लगा सकें।
- छठ पूजा घाट पर बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जायेगी, ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। दो गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये और मास्क का प्रयोग किया जाये।
- छठ पूजा घाट के आस–पास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जायेगा।
- कोई सामुदायिक भोज/प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जायेगा।
- छठ पूजा के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बुखार से ग्रस्त व्यक्ति एवं अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वे छठ घाट पर न जायें।
- इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला/जागरण/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा।
- छठ पूजा के आयोजकों और प्रशासन द्वारा पर्याप्त सेनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी। छठ पूजा के लिए वाहनों के प्रयोग को यथासंभव विनियमित किया जायेगा।

- जिला प्रशासन की ओर से आयोजकों के सहयोग से इन दिशा–. निर्देशों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा, ताकि लोगों द्वारा स्वतः इनका पालन करना आसान हो।
- जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा छठ पूजा के दौरान स्थि. ति पर नियंत्रण हेतु आवश्यक संख्या में मजिस्टेट एवं पुलिस पदाधिकारियों/बल की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। साथ ही एनडीआरएफ/एसडीआरएफ का भी आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
- सभी जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) उपरोक्त दिशा– निर्देशों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51–60 के प्रावधानों के अतिरिक्त आईपीसी की धारा 188 और अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्यवाही की जायेगी।